पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण विभाग ने दिया अवसर

दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, 1 सितंबर से खुलेगा पोर्टल

29 सितंबर से 02 अक्टूबर तक PFMS से सीधे बैंक खातों में होगा भुगतान

2025–26 में तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित थे छात्र–छात्राएं

लखनऊ : 20 अगस्त 2026

वित्तीय वर्ष 2025–26 में तकनीकी कारणों से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित पात्र छात्र–छात्राओं को एक और मौका मिलेगा। बड़ी पहल करते हुए समाज कल्याण विभाग 01 सितंबर 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग समेत सभी पात्र छात्र–छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और भुगतान 29 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

3.16 लाख छात्र–छात्राओं को मिलेगा लाभ

वर्ष 2025–26 में तकनीकी कारणों से कुल 3,16,057 छात्र–छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रहे। इनमें शासकीय संस्थानों के 31,836, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के 37,795 और निजी संस्थानों के 2,46,426 छात्र–छात्राएं शामिल हैं। वंचित छात्रों में सबसे बड़ी संख्या निजी संस्थानों के विद्यार्थियों की है।

किसी पात्र छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देंगे

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने बताया कि हर पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे या तकनीकी बाधाओं से प्रभावित न हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से धन्यवाद, जिनके संवेदनशील नेतृत्व और जन हितैषी निर्णयों से लाखों युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिल रही है।

सम्पर्क सूत्र–आशिया खातून

अवनीश श्रीवास्तव / 03:54 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in